2022/314

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री डॉ. पी.एम. सिंहदेव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीना जाति मीना निवासी 7/8 गीता विहार हरी मार्ग जगतपुरा जयपुर जिला जयपुर।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 45 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 11.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही के खसरा संख्या 618/1/1, 622/1, 623/30, 624/1, 760, 761, 763, 764/1 व 770/1 कुल किता 09 रकबा 57 बीघा 09 बिस्वा के चारों तरफ दीवार खिंचवा दी गई है एवं एक बडा दरवाजा मुख्य द्वार के रूप में लगाया गया है, उक्त दीवार किस आदेश से एवं किसके द्वारा बनवाया गया है एवं इसके निर्माण में कितना खर्चा आया, इसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं उपरोक्त भूमि का विभाजन किस–किस विभाग हेतु किया गया, प्रत्येक का आदेश मय राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्रदान कराने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 11.06.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सिरोही के खसरा संख्या 618/1/1, 622/1, 623/30, 624/1, 760, 761, 763, 764/1 व 770/1 कुल किता 09 रकबा 57 बीघा 09 बिस्वा के चारों तरफ दीवार खिंचवा दी गई है एवं एक बडा दरवाजा मुख्य द्वार के रूप में लगाया गया है, उक्त दीवार किस आदेश से एवं किसके द्वारा बनवाया गया है एवं इसके निर्माण में कितना खर्चा आया, इसकी सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं उपरोक्त भूमि का विभाजन किस–किस विभाग हेतु किया गया, प्रत्येक का आदेश मय राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्रदान कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह [illegible] है कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त [illegible] पत्र क्रमांक/लो.सू.अ/रेकर्ड/2022/901 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा अपीलांट को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील [illegible]ज की जाती है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:43:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner